

डाक-व्यय की पूर्व-अदायगी के बिना
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.
अनुमति-पत्र क्र. भोपाल-म. प्र.
बि.पू. भु. भोपाल-02-06.

पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-108-भोपाल-06-08.



मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 415]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 30 अगस्त 2006—भाद्र 8, शक 1928

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 30 अगस्त 2006

क्र. 5058-306-इक्कीस-अ(प्रा.).—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 22 अगस्त 2006 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा, सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बिपिन बिहारी शुक्ला, अतिरिक्त सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक २६ सन् २००६.

मध्यप्रदेश राज्य वित्त आयोग (संशोधन) अधिनियम, २००६.

[दिनांक २२ अगस्त, २००६ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई; अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक ३० अगस्त, २००६ को प्रथमबार प्रकाशित की गई.]

मध्यप्रदेश राज्य वित्त आयोग अधिनियम, १९९४ को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के सत्तावनवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश राज्य वित्त आयोग (संशोधन) अधिनियम, २००६ है.

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.

(२) यह ऐसी तारीख को प्रवृत्त होगा, जो राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, नियत करे.

धारा ४ का संशोधन.

२. मध्यप्रदेश राज्य वित्त आयोग अधिनियम, १९९४ (क्रमांक ३ सन् १९९४) की धारा ४ में, निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाए, अर्थात् :-

“परन्तु मध्यप्रदेश राज्य योजना मंडल (मध्यप्रदेश स्टेट प्लानिंग बोर्ड) का सदस्य-सचिव, आयोग का पदेन सदस्य होगा.”

भोपाल, दिनांक 30 अगस्त 2006

क्र 5059-306-इक्कीस-अ(प्रा.)-भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में मध्यप्रदेश राज्य वित्त आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2006 (क्रमांक 26 सन् 2006) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बिपिन बिहारी शुक्ला, अतिरिक्त सचिव

MADHYA PRADESH ACT

No. 26 OF 2006.

THE MADHYA PRADESH RAJYA VITTA AYOG (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2006.

[Received the assent of the Governor on the 22nd August, 2006; assent first published in the “Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)”, dated the 30th August, 2006.]

An Act further to amend the Madhya Pradesh Rajya Vitta Ayog Adhiniyam, 1994.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Fifty-Seventh Year of the Republic of India as follows:—

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the Madhya Pradesh Rajya Vitta Ayog (Sanshodhan) Adhiniyam, 2006.

(2) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification, appoint.

Amendment of Section 4.

2. In Section 4 of the Madhya Pradesh Rajya Vitta Ayog Adhiniyam, 1994 (No. 3 of 1994), the following proviso shall be added, namely:—

“Provided that the Member-Secretary of the Madhya Pradesh State Planning Board shall be Ex-officio member of the Commission.”